बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग।

संख्या–वन निगम–07/2015 /प०व० पटना–15, दिनांक–....../03/2016

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य वन विकास निगम लि0/अनुषंगी में कार्यरत कर्मियों का कर्मीवार उपयुक्त कारणों के साथ उनके माँग के आलोक में बकाया राशि ₹224.30 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख तीस हजार रू0) मात्र तथा श्री कैलाश सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी (से०नि०) को अव्यहृत अवकाश के विरूद्ध ₹2.1993 लाख (दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ ती रूपये) मात्र अर्थात् कुल (₹224.30+₹2.1993) ₹226.4993 लाख (दो करोड़ छब्बीस लाख उनचास हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र उक्त निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

2. मांग संख्या–19, पर्यावरण एवं वन विभाग, मुख्य शीर्ष–6406–वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज, उपमुख्य शीर्ष–00– वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज, उप शीर्ष–0003–बिहार राज्य वन विकास निगम को उधार, विपत्र कोड–N6406001900003 के विषय शीर्ष–5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त उपबंधित राशि कुल ₹226.50 लाख के तहत यह विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि0, पटना होगे तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. यह स्वीकृति CWJC No.-21893/2011 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बनाम राज्य सरकार तथा CWJC No.-16236/2011 श्री कैलाश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में क्रमशः दिनांक 04.03.2015 तथा दिनांक 15. 12.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दी जा रही है।

5. दिनांक–21.03.2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–21 के रूप में प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति एवं संचिका के पृ०–20/टि० पर दिनांक–29.03.2016 को प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. संबंधित कर्मियों को संलग्न अनुलग्नक–A एवं B में कर्मीवार कर्णांकित राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहराज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन निगम–07/2015 /प०व० पटना–15, दिनांक–....../03/2016

<u>प्रतिलिपि</u> :– (सानुलग्नक) संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन निगम–07/2015 1119 /प०व० पटना–15, दिनांक–29.../03/2016

प्रतिलिपि :– मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/~~आई~~०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jha 29/3/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव